

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उमवान

सरोज आदि बनाम हेतराम आदि

दावा बाबत :- 88 Rajpet

मुकदमा नम्बर :- 138/2021

निर्णय दिनांक :- 23-11-2021

वादी की ओर से वकील शुलवार केनीवाल की व प्रतिवादी सं० 1 का 1 की ओर से वकील विरेन्द्र जाखड की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि सोहा मोजा मंडी के खाता सं० 132/128 के खसरा सं० 67/1 की 0.0630 है, खसरा सं० 118 की 2.9090 है, खसरा सं० 130 की 6.4000 है, खसरा सं० 322/1 की 0.4640 है, खसरा सं० 335 की 0.3160 है, खसरा सं० 336/1 की 1.3790 है, खसरा सं० 664 की 2.5170 है, खसरा सं० 632 की 3.3770 है, खसरा सं० 694/3 की 0.0890 है, खसरा सं० 722/1 की 0.5060 है कुल 18.0250 है बरानी खतोदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 हेतराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० हेतराम के दोपार वादी सं० सरोज पत्नी सं० हरलाल वादी सं० 2 चन्द्रशेखर पुत्र हरलाल वादी सं० 3 पुजा पुत्री हरलाल को संभुलरूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० हेतराम को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 मोडिराम को 1/3 हिस्सा के खतोदार कारवाणार वीमिल किपे जाते हैं कुंकि प्रतिवादी सं० 3 ता कु ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण सं० ता उके प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष लमाडा में लमाडा मूर मुय कर लिया है इसलिये लमाडा किपे जेय हिस्से पर देय पूजायुग मुल्य अफा करके व कृषि भूमि बोंक के रहन हो तो रहन मुकदोन के अरान्त हार/पक्ष खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
 भादरा, जिला हनुमानगढ़  
 प्र. गा. के संग अ.-2021  
 कैम्प